



प्रेस नोट - दिनांक 01.05.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.04.2026 को प्र०नि० श्री चन्द्र कान्त मिश्र मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त सहबान उर्फ साबान पुत्र साबिर उम्र 24 वर्ष निवासी तालिब सराय थाना कोतवाली सदर उन्नाव को कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर औलिया शाह मजार निकट छिपियाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर कोतवाली पर मु०अ०सं० 256/2026 धारा-3/25 A ACT पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सहबान उर्फ साबान पुत्र साबिर उम्र 24 वर्ष निवासी तालिब सराय थाना कोतवाली सदर उन्नाव

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० चन्द्र कान्त मिश्र
2. उ०नि० उग्रसेन सिंह
4. का० गोविंद चौहान
5. हो०गा० जीत कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 01.05.2026

थाना दही, जनपद उन्नाव ।

हत्या के आरोपी दो अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी दो अभियुक्तों व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.04.2026 को समय करीब 20.30 बजे थाना दही पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम सोनिक के पास खेत में नीम के पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना दही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उपरोक्त अज्ञात युवक के शव को शिनाख्त हेतु मोर्चरी हाउस भेजा गया। मृतक की शिनाख्त अखिलेश गौतम पुत्र सुरेश गौतम उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी ग्राम बीरापुर थाना फतनपुर जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। घटना के सन्दर्भ में मृतक की मां रेखा की तहरीर के आधार पर थाना दही पर मु0अ0सं0 115/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 01. मुस्कान का पिता हिरालाल 02. मुस्कान का भाई अमन 03. मुस्कान 04. मुस्कान के अज्ञात रिश्तेदार पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए आज दिनांक 01.05.2026 को थाना दही पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01.हीरालाल पुत्र स्व0 महावीर उम्र 59 वर्ष 02.अमन गौतम पुत्र हीरालाल उम्र करीब 24 वर्ष 03.अभियुक्ता मुस्कान पुत्र हीरालाल उम्र 18 वर्ष 09 माह निवासीगण ग्राम मीतखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव को गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे ग्राम वशीरतगंज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता का विवरण-

- 1.हीरालाल पुत्र स्व0 महावीर उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम मीतखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव
- 2.अमन गौतम पुत्र हीरालाल उम्र करीब निवासी ग्राम मीतखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव 24 वर्ष
3. मुस्कान पुत्र हीरालाल उम्र 18 वर्ष 09 माह निवासी ग्राम मीतखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण –

1. मो0सा0 यू0पी0 35 एडब्लू 9995 पैशन प्रो0
2. मो0सा0 UP 35 N 0758 हीरो हाण्डा स्प्लैण्डर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. प्र0नि0श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री शिवपाल सिंह
3. हे0का0 अवनीश चौधरी
4. हे0का0 अम्बेश कुमार
5. हे0का0 पुष्पेन्द्र सिंह
5. का0 सुनील कुमार
6. का0 रोहित कुमार
7. रि0का0 शिवशंकर यादव
- 8 रि0का0 सिद्धार्थ कनौजिया
9. म0का0 इन्द्रा तोमर



प्रेस नोट - 01.05.2026
थाना पुरवा, जनपद उन्नाव ।

फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने वाले दो अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज बनबाकर जमीन का बैयनामा करने वाले दो अभियुक्त व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.04.2026 को वादी श्रीराम पुत्र रामस्वरूप निवासी गढीथोक हिलौली थाना मौरावां तहसील पुरवा जनपद उन्नाव की तहरीर के आधार पर थाना दही पर मु0अ0सं0 318(4), 319(2), 336(3), 337, 338, 340(2) BNS 2023 को बनाम – 1. शिवम द्विवेदी पुत्र अनिल द्विवेदी निवासी ग्राम बरदहा थाना मौरावां उन्नाव 2. गुलनाज पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा निवासी मोहल्ला केशी ग्राम हिलौली परगना व तहसील पुरवा उन्नाव 3. मदारी पुत्र अयोध्या निवासी शंकरबक्सखेडा मो0 हिलौली थाना मौरावां जनपद उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। वादी मुकदमा द्वारा लगभग 40 वर्ष से गाटा सं0 2303 रकबा 0.2400 हे. स्थित ग्राम हिलौली, परगना मौरावा, तहसील पुरवा जनपद उन्नाव की भूमि को जोत बो रहा था। उक्त भूमि शिवराम पुत्र शिवदीन के नाम दर्ज थी, शिवदीन की मृत्यु लगभग 35-40 वर्ष पूर्व हो गयी थी। उपरोक्त भूमि का शिवम द्विवेदी पुत्र अनिल द्विवेदी निवासी ग्राम बरदहा थाना मौरावां उन्नाव व गुलनाज पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा निवासी मोहल्ला केशी ग्राम हिलौली परगना व तहसील पुरवा उन्नाव द्वारा फर्जी बैनामा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके मृतक शिवराम के स्थान पर मदारी पुत्र अयोध्या निवासी शंकरबक्सखेडा हिलौली को शिवराम बनाकर खड़ा करके क्रेतागण शिवम द्विवेदी पुत्र अनिल द्विवेदी निवासी ग्राम बरदहा थाना मौरावां उन्नाव व गुलनाज पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा निवासी मोहल्ला केशी ग्राम हिलौली परगना व तहसील पुरवा उन्नाव द्वारा बैनामा करा लिया गया था। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) BNS 2023 की बढोत्तरी की गई। आज दिनांक 01.05.2026 को थाना दही पुलिस द्वारा प्रकाश में आये

अभियुक्तगण 1.केशन पुत्र श्री राम गुलाम निवासी ग्राम खागा मजरा हिलौली थाना मौरावा जनपद उन्नाव 2.मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद निवासी ग्राम केशी

मजरा हिलौली थाना मौरावा जनपद उन्नाव व नामित अभियुक्ता 3.गुलनाज पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा निवासी ग्राम केशी मजरा हिलौली थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र 60 वर्ष को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता का विवरण-

- 1.श्री केशन पुत्र श्री राम गुलाम निवासी ग्राम खागा मजरा हिलौली थाना मौरावा जनपद उन्नाव
- 2.मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद निवासी ग्राम केशी मजरा हिलौली थाना मौरावा जनपद उन्नाव
- 3.गुलनाज पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा निवासी ग्राम केशी मजरा हिलौली थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र 60 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 उ0नि0 सियाराम चौरसिया
- 2.का0 हिमांशु
- 3.म0का0 समानता
- 4.रि0कां0 आराम सिंह



प्रेस नोट - दिनांक 01.05.2026

थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।

पिता की हत्या का आरोपी पुत्र गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.05.2026 को जीतेन्द्र पुत्र स्व० गंगाप्रसाद ग्राम बगहा मुस्तफाबाद थाना सोहरामऊ द्वारा थाना सोहरामऊ पर तहरीरी सूचना दी गई कि मेरे पिता जी गंगाप्रसाद पुत्र स्व० छत्रपाल उम्र करीब 53 वर्ष की घरेलू जमीनी बेचने से मना करने पर उनके ही बड़े बेटे धर्मेन्द्र कुमार उम्र करीब 32 वर्ष द्वारा चापड़ से प्रहार कर हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सोहरामऊ पर मु०अ०सं० 102/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम धर्मेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 01.05.2026 थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र गंगाप्रसाद निवासी ग्राम बगहा मुस्तफाबाद थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र 32 वर्ष को कब्जे से एक अदद चापड़ बरामद कर ग्राम बगहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धर्मेन्द्र पुत्र गंगाप्रसाद निवासी ग्राम बगहा मुस्तफाबाद थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र 32 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद चापड़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाण्डेय
2. उ०नि० श्री नरेन्द्र प्रताप
3. उ०नि० श्री हृदयनारायण
4. का० अंकुश पवार
5. म०का० नीतू कुमारी

